

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-01
संख्या-876/XV-1/22/2(10)/2022
देहरादून : 08 जुलाई, 2022

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के प्राविधानानुसार तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश कम्प्यूटर संख्या-20917 दिनांक 30 जून, 2022 के क्रम में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुतिनुरूप पशुपालन विभागान्तर्गत संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष अधिकारियों को अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर निम्न तालिकानुसार वर्तमान तैनाती स्थान से नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

1. अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	डा० योगेश भारद्वाज	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	जनहित

2. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	डा० राकेश सिंह नेगी	रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद्, देहरादून	पशुपालन निदेशालय, देहरादून	अनुरोध के आधार पर
2	डा० शरद भण्डारी	पशुपालन निदेशालय, देहरादून	उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून	
3	डा० सत्यस्वरूप	पशुपालन निदेशालय, देहरादून	रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद्, देहरादून	
4	डा० आशुतोष जोशी	उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी	
5	डा० एस०पी० सिंह	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी	परियोजना निदेशक, कालसी प्रक्षेत्र, देहरादून	
6	डा०एस०बी० पाण्डे	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पिथौरागढ़	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उधमसिंहनगर	
7	डा० जगमोहन असवाल,	परियोजना निदेशक, पशुलोक प्रक्षेत्र, ऋषिकेश	पशुपालन निदेशालय, देहरादून	
8	डा०देवेन्द्र सिंह बिष्ट	परियोजना निदेशक, कालसी प्रक्षेत्र, देहरादून	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पौड़ी	

3. अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	डा० रमेश नितवाल	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी	संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	जनहित
2	डा० अभय गर्ग	परियोजना निदेशक, मक्कू फार्म, रूद्रप्रयाग	परियोजना निदेशक, पशुलोक प्रक्षेत्र, ऋषिकेश	

2. स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा-23 में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार नवीन तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाना आवश्यक होगा।
3. स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध अनावश्यक पत्राचार एवं किसी भी स्तर से दबाव डलवाने का प्रयास किए जाने पर शासन स्तर पर इस कृत्य/आचरण को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित अधिकारियों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

डा०बी०वी०आर०सी०पुरुषोत्तम
सचिव।

संख्या : 876 / XV-1 / 22 / 2(10) / 2022 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाँऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/योगदान कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाँऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
9. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
11. परियोजना निदेशक, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी, देहरादून।
12. परियोजना निदेशक, भे० एवं फा०ओरिएन्टेशन, मक्कू जनपद रुद्रप्रयाग।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. गार्ड फाईल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव